नं. ....

विनोद बनाम रामफूल

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हु[illegible] की तामील में जार[illegible]
25.04.2017	वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद में वकील प्रार्थी ने शपथ पत्र, नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थी को पाबंद कराने का निवेदन किया। वकील प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति प्रार्थीयागण के पक्ष में बखूबी सावित है। अतः अप्रार्थी को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से जबाव पेश होने तक पाबंद किया जाता है कि वो प्रार्थी के हिस्से तक आराजी ख0नं0 71 रकबा 0.76 है0 ,वाके ग्राम नंगला मक्खन तहसील कठूमर में रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। अप्रार्थी को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत् कोई उज्र हो तो दिनांक 20.07.2017 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थीगण जरियें नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 20.07.2017 को वास्ते तलबी अप्रार्थी पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
20/7/17	वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र को Not Press किया है। अतः प्रा0 पत्र 212 RTA Not Press में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर रिकार्ड में जमा हो। सुनाया। [signature] SDM उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	Not P[illegible] [illegible]